

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

विज्ञप्ति संख्या – पी.आर. 183 / 2026

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2026 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

एतद्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2026 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार के पत्रांक-09 / STET-17-02 / 2026 - 1239, दिनांक 11.08.2026 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर-1 (माध्यमिक) के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर-1I (उच्च माध्यमिक) के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2026 का आयोजन किया जाना है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत् है :-

- संरचना :**
क. पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे।
ख. प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।
ग. निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
- परीक्षा के विषय :-** माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर-1 (माध्यमिक) के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर-1I (उच्च माध्यमिक) के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	विषय / विषय समूह	शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक अर्हता
	सामान्य विषय:-	विनिर्दिष्ट विषय/विषय समूह में कम से कम 50 प्रतिशत अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।
1.	हिन्दी-1	101
2.	उर्दू	102
3.	बंगला	103
4.	मैथिली	104
5.	संस्कृत	105
6.	अरबी	106
7.	फारसी	107
8.	मोजपुरी	108
9.	अंग्रेजी	109
10.	गणित	110
11.	विज्ञान	111
12.	सामाजिक विज्ञान	112
	अथवा	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक/स्नातकोत्तर तथा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम-2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।
	अथवा	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय/विषय समूह में बी०एड०/बी० एससी० एड०/बी० पात्र प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक।
	अथवा	एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उत्प्राप्ति।
	अथवा	एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उत्प्राप्ति तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर-विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा ऐथलिटिक्स में सहभागिता।
	अथवा	45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक उत्प्राप्ति तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर-विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा ऐथलिटिक्स में सहभागिता।
	अथवा	प्रतिनियुक्त सेवारत अभ्यर्थी (अर्थात् प्रशिक्षित शारीरिक अध्यापक/कोच)– 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम-2007 (10.12.2007 को अधिसूचित) के अनुसार एन०सी०सी० (सी' प्रमाण पत्र) पास किया हो।
	अथवा	45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक।
	अथवा	एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक।
2.	शारीरिक शिक्षा	113
	अथवा	ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद/खेलों में स्कूल, अन्तर कॉलेजिएट में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 (10.12.2007 को अधिसूचित) के अनुसार एन०सी०सी० (सी' प्रमाण पत्र) पास किया हो।
	अथवा	शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अर्थात् बी०पी०एड० पाठ्यक्रम (अथवा इसके समतुल्य)
	अथवा	ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद/खेलों/ऐथलेटिक्स में राज्य/विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो।
	अथवा	ऐसा स्नातक, जिसने अन्तर-कॉलेजिएट खेलकूद/खेल प्रतियोगिताओं में पहला, दूसरा अथवा तीसरा स्थान प्राप्त किया हो/ एन०सी०सी० (सी' प्रमाण पत्र) का धारक हो अथवा जिसने जोखिमपूर्ण खेलकूद में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया हो।
	अथवा	13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 के अनुसार खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रबंध, खेलकूद कोचिंग, योगा, ओलंपिक शिक्षा, खेलकूद प्रकाशिकता आदि में एक वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित स्नातक।
	तथा	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातक (बी०पी०एड०) अथवा इसके समतुल्य।
3.	संगीत विषय	114
	अथवा	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक अथवा उसका समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
	अथवा	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक-उत्प्राप्ति अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
4.	ललित कला विषय	115
	अथवा	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से नृत्य विषय में स्नातक उत्प्राप्ति या उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
5.	नृत्य विषय	116
	विशेष विद्यालय अध्यापक	
	(क) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक-उत्प्राप्ति	
	एवं	
	(ख) भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बी०एड० के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के बैच सी०आर०आर० नं० धारित हो	
	या	
	बी०एड० के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट/डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बी०एड० के समकक्ष हो एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के बैच सी०आर०आर० नं० धारित हो।	
6.	अन्य	
	(ग) अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्ययन प्रशिक्षण, परन्तु-:- भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्ययन प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए उक्त अर्हता को इस शर्त के साथ शिथिल रखा जायेगा कि संबंधित उम्मीदवार नियुक्ति के उपरान्त उक्त प्रशिक्षणचर्चा के निर्धारण की स्थिति में इसे प्रशिक्षणचर्चा प्राप्त होने की तिथि से 02 वर्ष के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करेगा। इस प्रशिक्षणचर्चा को पूर्ण करने हेतु यथा आवश्यक (अधिकतम 06 माह तक) संवैधानिक अवकाश मान्य होगा।	
	नोट:- अभ्यर्थी अपने स्नातक में पठित विषय के अनुसार किसी भी एक विषय (विषय कोड) का चयन कर सकते हैं।	

- संरचना :**
क. पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे।
ख. प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।
ग. निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
- परीक्षा के विषय :-** माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर-1 (माध्यमिक) के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर-1I (उच्च माध्यमिक) के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	विषय / विषय समूह	शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक अर्हता
	सामान्य विषय:-	विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक कोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।
1.	हिन्दी-1	201
2.	उर्दू	202
3.	अंग्रेजी	203
4.	संस्कृत	204
5.	बांगला	205
6.	मैथिली	206
7.	मगही	207
8.	अरबी	208
9.	फारसी	209
10.	मोजपुरी	210
11.	पाली	211
12.	प्राकृत	212
13.	गणित	213
14.	भौतिक विज्ञान	214
15.	रसायन शास्त्र	215
16.	जन्तु विज्ञान	216
17.	इतिहास	217
18.	भूगोल	218
19.	राजनीति शास्त्र	219
20.	समाज शास्त्र	220
21.	अर्थशास्त्र	221
22.	दर्शनशास्त्र	222
23.	मनोविज्ञान	223
24.	गृहविज्ञान	224
25.	वनस्पति विज्ञान	229
1.	वाणिज्य	225
	अथवा	वाणिज्य विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण। वाणिज्य विषय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण उम्मीदवार वाणिज्य संकाय के तीनों विषयों यथा, EPS (उद्योगिता), Accountancy (लेखा शास्त्र) एवं Business Study (बिजनेस स्टडी) के लिए आवेदन कर सकेंगे।
	तथा	सामान्य विषयों के लिए निर्धारित प्रशैक्षणिक अर्हता।
	अथवा	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त उत्प्राप्ति। डी०ओ०ई०ए०सी०पी०सी० से स्तर 'ए' एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उत्प्राप्ति।
	अथवा	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए०आर०सी०पी०सी० से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०ई० (कम्प्यूटर साइंस / आईटी) या बी०ई० (कम्प्यूटर साइंस / आईटी) अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से डिग्री।
	अथवा	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए०आर०सी०पी०सी० से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्टीम में बी०ई० या बी०ई० की उपाधि तथा कम्प्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा।
	अथवा	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर / एम०सी०पी० या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि।
	अथवा	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में स्नातक / बी०सी०पी० या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर।
	अथवा	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि
	अथवा	डी०ओ०ई०ए०सी०पी०सी० से स्तर 'बी' एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि
	अथवा	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक अथवा उसका समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
	अथवा	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक-उत्प्राप्ति अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
4.	कृषि	227
	अथवा	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि/उद्यान में स्नातक तथा Agronomy/Plant Breeding & Genetics/Entomology/Plant Pathology/Seed Science & Technology/ Soil Science/Horticulture में से किसी विषय में स्नातकोत्तर अर्हक योग्यता धारित करना आवश्यक होगा।
	नोट:-	मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
	अथवा	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता।
	अथवा	मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

विषय समूह:-	Subjects at Post Graduate level
Physics	Physics/Electronics/Applied Physics/Nuclear Physics
Chemistry	Chemistry/Biochemistry
Economics	Economics/Applied Economics/Business Economics
Commerce	Master's Degree in commerce. However, holder of Degree of M.com in Applied/Business Economics shall not be eligible.
Botany/ Zoology	Botany/Zoology/Life Science/Bio Science/Genetics/ Micro Biology/Biotechnology/Molecular Biology/ Plant Physiology.
Maths	Mathematics/Applied Mathematics
स्पष्टीकरण:-	
(i) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिन्दु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिन्दु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा।	

- राज्य के विद्यालयों में Multi Media & Web Technology विषय की पढ़ाई नहीं होती है। इसलिए पेपर-1I के तहत Multi Media & Web Technology की परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है।
- वाणिज्य संकाय के लिए पेपर-1I के अन्तर्गत विषय वाणिज्य की परीक्षा ली जाएगी।
- पाठ्यक्रम :-** पेपर-1 (माध्यमिक) के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तथा पेपर-1I (उच्च माध्यमिक) के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक (प्रतिष्ठा) स्तरीय पाठ्यक्रम।
- प्रश्नपत्र पैटर्न :-** माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला, अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे :-
 - निर्दिष्ट विषय वस्तु – 100
 - शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता – 50
 - कुल अंक – 150
- अर्हता :-**
 - (क) आवेदक भारत का नागरिक हो।
 - (ख) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (ग) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (घ) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (च) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (छ) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (ज) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (झ) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (ञ) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (ट) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (ड) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (ण) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (त) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (थ) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (द) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (ध) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (न) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (प) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (फ) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (ब) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (भ) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (म) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (य) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (र) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (ल) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (व) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (श) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (ष) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (स) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (ह) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (र) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (ल) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (व) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (श) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (ष) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (स) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (ह) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (र) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (ल) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (व) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (श) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (ष) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (स) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (ह) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (र) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (ल) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।
 - (व) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा सं